संख्या-81 /2020/4411 /71-2-2020- के0एस0-01/2014 टी0सी0-1

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 एवं अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- एफओ/सीआई/34/ 99/ 2020, दिनांक 03-12-2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान एवं हास्पिटल, सी0जी0 सिटी लखनऊ की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-726/ 71-2-15-के0एस0-1/2014, दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा मूल परियोजना की लागत रू0 854.5145 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0-80528.44 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत कुल रू0 61436.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत रू0 7396.885 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 68832.885 लाख की निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्रमांक	शासनादेश/दिनांक	अनुदान संख्या	निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)
1.	1391/71-2-2014-के0एस0-1/2014, दिनांक 15.07.2014	अनुदान संख्या-31	700.00
2.	38/2015/1128/71-2-2015-के0एस0-1/2014, दिनांक 30.03.2015	अनुदान संख्या-31	3118.50
3.	86/2015/3961/71-2-2015-के0एस0-1/2014, दिनांक 20.10.2015	अनुदान संख्या-31	21078.05
4.	121/2016/4079/71-2-2016-के0एस0-1/2014, दिनांक 13.10.2016	अनुदान संख्या-31	18939.45
5.	87/2017/5857/71-2-2017-के0एस0-1/2014, दिनांक 15.12.2017	अनुदान संख्या-31	3750.00
6.	36/2018/949/71-2-2018-के0एस0-1/2014, दिनांक 08.03.2018	अनुदान संख्या-31	3750.00
7.	114/2018/2309/71-2-2018-के0एस0-1/2014, दिनांक 20.08.2018	अनुदान संख्या-31	100.00
8.	41/2019/925/71-2-2019-के0एस0-1/2014टी0सी0 दिनांक 03.05.2019	अनुदान संख्या-31	5000.00
9.	2381//71-2-2019-के0एस0-1/2014टी0सी0 दिनांक 30.09.2019	अनुदान संख्या-31	4000.00
10.	58/2020/3451/71-2-2020-के0एस0-1/2014,टी0सी0-1 दिनांक 15.08.2020	अनुदान संख्या-31	1000.00
		योग-	**61436.00**
1.	146/71-2-2015-के0एस0-1/2014, दिनांक 31.03.2015	अनुदान संख्या-83	654.885
2.	87/2015/3962/71-2-2015-के0एस0-1/2014, दिनांक 29.10.2015	अनुदान संख्या-83	1060.50
3.	122/2016/4175/71-2-2016-के0एस0-1/2014, दिनांक 13.10.2016	अनुदान संख्या-83	1060.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4.	88/2017/5885/71-2-2017-के0एस0-1/2014, दिनांक 15.12.2017	अनुदान संख्या-83	787.50
5.	37/2018/953/71-2-2018-के0एस0-1/2014, दिनांक 08.03.2018	अनुदान संख्या-83	273.00
6.	115/2018/2156/71-2-2018-के0एस0-1/2014, दिनांक 20.08.2018	अनुदान संख्या-83	1060.50
7.	28/2019/364/71-2-2019-के0एस0-1/2014टी0सी0 दिनांक 12.03.2019	अनुदान संख्या-83	1000.00
8.	40/2019/894/71-2-2019-के0एस0-1/2014टी0सी0 दिनांक 03.05.2019	अनुदान संख्या-83	500.00
9.	2378/71-2-2019-के0एस0-1/2014टी0सी0 दिनांक 30.09.2019	अनुदान संख्या-83	500.00
10.	58/2020/3451/71-2-2020-के0एस0-1/2014,टी0सी0-1 दिनांक 15.08.2020	अनुदान संख्या-83	500.00
		योग-	**7396.885**
		कुल योग (31 + 83)	**68832.885**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं हास्पिटल, सी0जी0 सिटी लखनऊ के भवन निर्माण की पुनरीक्षित लागत रू0 80528.44 लाख के सापेक्ष सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं हास्पिटल, लखनऊ के 24-बृहद निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 से रू0 1580.00 एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 420.00 लाख अर्थात कुल 2000.00 (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश दिनांक 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2)-प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3)-प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(4)-धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(5)-कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार किया जाय।

(6)-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्था के वित्त नियंत्रक का होगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तवित आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(8)-स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

(9)-धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

(10)-प्रायोजना की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 26.02.2015 की शर्ते यथावत रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।

(12) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(13) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।

(14) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्ष "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105 एलोपैथी-59-कैंसर संस्थान लखनऊ-24 बृहद निर्माण कार्य से **रू0 1580.00 लाख** तथा अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्ष "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-24- वृहद निर्माण कार्य से **रू0 420.00 लाख** (अर्थात कुल रू0 2000.00 लाख मात्र) के नामे डाला जायेगा"।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-81/2020/4411(1)/71-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दिवतीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in